

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

हरियाणा के जमीन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पंचायत की जमीन अब मालिकों के पास ही रहेगी

Publisher

Published on 17 Sep 2025



हरियाणा के **जमीन मालिकों** के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने 2022 में लिए गए उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें गाँव की आम जमीन पंचायतों को लौटाने का निर्देश था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि **चकबंदी के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए चिन्हित न की गई जमीन** मालिकों के पास ही रहेगी। इस फैसले के बाद **ग्राम पंचायतों की जमीन पर मालिकों का अधिकार** बहाल हो गया है।

अदालत ने कहा कि जमीन के सही उपयोग और स्वामित्व का निर्णय **कानूनी प्रक्रियाओं और वास्तविक स्थिति** के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल पिछले आदेशों के आधार पर।

2022 का विवादित फैसला

2022 में हरियाणा सरकार के आदेश के तहत **गाँव की आम जमीन** पंचायतों को लौटाने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले के बाद कई **जमीन मालिकों और ग्रामीणों** ने असंतोष जताया।

जमीन मालिकों का कहना था कि चकबंदी के दौरान उनकी निजी जमीन को **सामान्य उद्देश्यों के लिए चिन्हित नहीं किया गया था**, फिर भी उन्हें पंचायत को सौंपने के लिए मजबूर किया गया।

सुप्रीम कोर्ट का तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि:

1. चकबंदी के दौरान यदि जमीन सामान्य उद्देश्यों के लिए चिन्हित नहीं हुई, तो उसका मालिकाना हक मालिकों के पास ही रहेगा।
2. पंचायत को लौटाने का आदेश केवल वास्तविक चकबंदी और नियमानुसार जमीन पर लागू होगा।
3. सरकार और पंचायतों को आदेश का पालन करते समय जमीन मालिकों के अधिकार का ध्यान रखना अनिवार्य है।

जमीन मालिकों की प्रतिक्रिया

हरियाणा के जमीन मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उनके कानूनी अधिकारों और संपत्ति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भविष्य में भूमि विवादों को कम करने और ग्राम पंचायतों तथा निजी मालिकों के बीच स्पष्टता लाने में सहायक होगा।

हरियाणा सरकार की स्थिति

हरियाणा सरकार को इस फैसले के बाद संपत्ति और पंचायत कानूनों में बंदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। अधिकारी अब यह सुनिश्चित करेंगे कि चकबंदी और जमीन के हस्तांतरण में किसी भी प्रकार की कानूनी अनियमितता न हो।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, अब पंचायत और सरकार दोनों को जमीन मालिकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और विवादित जमीनों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

सामाजिक और कानूनी महत्व

यह फैसला हरियाणा की ग्रामीण जमीन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके तहत:

- जमीन मालिकों का स्वामित्व सुरक्षित रहेगा।
- ग्राम पंचायतों और सरकार की जमीन प्रशासनिक जिम्मेदारी स्पष्ट होगी।
- भविष्य में भूमि विवादों में समानता और न्याय सुनिश्चित होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय जमीन मालिकों को आत्मविश्वास और सुरक्षा देगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संतुलन बेहतर होगा।

भविष्य की संभावनाएँ

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा में कई पुराने जमीन विवादों का समाधान और पुनर्निर्धारण हो सकता है।

- चकबंदी के दौरान चिन्हित जमीन पर स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- पंचायत और सरकार को जमीन के वास्तविक मालिकों की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेना होगा।
- जमीन मालिकों और ग्राम पंचायतों के बीच विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हरियाणा के जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। 2022 के विवादित फैसले को पलटने के बाद अब पंचायत की जमीन केवल उसी स्थिति में जाएगी, जो चकबंदी के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए चिन्हित हो।

यह फैसला न केवल जमीन मालिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि भविष्य में भूमि विवादों के समाधान और ग्रामीण प्रशासन में स्पष्टता लाने में भी सहायक होगा।